**भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों और कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर दिया जाना**

2532. **श्री दिलीप सिंह जूदेव:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार भ्रष्टाचार के आरोपों में अंतर्ग्रस्त केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों की पहचान करके उन्हें अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर देने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ग) वर्ष 1994-95 और 1995-96 के दौरान अखिल भारतीय सेवाओं के किन-किन अधिकारियों को भ्रष्टाचार, गंभीर अनियमितताएं बरतने और अपने कर्त्तव्य के प्रति उदासीन रहने का दोषी पाया गया; और

(घ) ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

**कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० आर० बालसुब्रमण्यन):** (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों जिनकी सत्यनिष्ठा संदेहास्पद है और साथ ही जो अक्षम हो चुके हैं, उनकी छंटनी करने के उद्देश्य से संबंधित सेवा नियमों के अंतर्गत उनके सेवा रिकार्डों की पुनरीक्षा इस विचार से की जाती है कि क्या उन्हें समय-पूर्व सेवानिवृत्त किया जाए अथवा निर्धारित आयु (50/55 वर्ष) प्राप्त करने या 30 वर्ष की सेवा के पश्चात् सेवा में रखा जाए। यह एक नियमित तथा लगातार चलने वाली प्रक्रिया है तथा समय-पूर्व सेवा-निवृत्ति के आदेश जनहित में जारी किए जाते हैं। ऐसी समय-पूर्व सेवा-निवृत्ति के अलावा सेवा-नियमों के अंतर्गत भारी शास्ति लगाने का एक मान्यता प्राप्त तरीका अनिवार्य सेवा-निवृत्ति भी है तथा यह कदाचार सिद्ध हो जाने वाले मामलों में लगाई जाती है।

(ग) और (घ) एक विवरण संलग्न है।

## विवरण

**भ्रष्टाचार में संलिप्त अधिकारियों तथा कर्मचारियों की अनिवार्य सेवा-निवृत्ति संबंधित विवरण**

| क्र० सं० | अधिकारी का नाम | सेवा | आरोप | की गई कार्यवाई |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | सर्व / श्री ए० एन० बतबयाल, प्रशासनिक सेवा (महाराष्ट्र) | भारतीय प्रशासनिक सेवा | बम्बई स्थित एक बहुमूल्य भूखंड को बेचना | 24.2.1994 से अनिवार्य सेवानिवृत्ति |
| 2. | ए० वती ए० ओ०, प्रशासनिक सेवा (बिहार) | भारतीय प्रशासनिक सेवा | विशेष न्यायाधीश इम्फाल द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 120 (ख) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया। | 9.8.1994 से सेवा से बर्खास्त। |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 3. | बिक्रम जीत सिंह, प्रशासनिक सेवा (पंजाब) | भारतीय प्रशासनिक सेवा | (i) लकड़ी की पेटियों के लिए आपूर्ति आदेश देने में मनमाना ढंग अपनाना। | (i) 31.8. 1994 को परिनिन्दा की शास्ति लगाई। |
| | | | (ii) भारतीय खाद्य निगम पंजाब क्षेत्र के वरिष्ठ प्रबंधक के रूप में कार्य करते हुए 89,914 रुपये के अनियमित भुगतान के लिए प्राधिकृत करना। | (ii) संचयी प्रभाव के बिना दो साल के लिए वेतन वृद्धि रोकने की शास्ति 9.8. 1994 को लगाई। |
| 4. | आर० पी० बाथ | भारतीय प्रशासनिक सेवा | हथियारों के लाइसेंस मनमाने ढंग से जारी करना। | अनिवार्य सेवानिवृत्ति और मासिक पेंशन में से 1/4 कटौती की शास्ति 28.2.96 को लगाई। |
| 5. | एस० के० नन्दा | भारतीय प्रशासनिक सेवा | बिना अनुमति के स्मारिका के लिए चन्दा मांगना। | 1.7.96 को परिनिन्दा की शास्ति लगाई गई। |
| 6. | जी० सी० वर्मा (पंजाब 68) | भारतीय पुलिस सेवा | विभिन्न फर्मों और बैंकों से उधार लेना और उसे न लौटाना तथा अपनी ड्यूटी से अप्राधिकृत रूप से अनुपस्थित रहना। | 13.10. 1994 को सेवा से हटाया गया। |
| 7. | एन० बी० जोशी (पश्चिम बंगाल) | भारतीय पुलिस सेवा | नैतिक चरित्रहीनता | सेवा से बर्खास्त। |
| 8. | सुश्री मधु पर्णा दास (पश्चिम बंगाल) | भारतीय पुलिस सेवा | नैतिक चरित्रहीनता | सेवा से बर्खास्त। |
| 9. | जगदीश चन्द्रा (उत्तर प्रदेश) | भारतीय पुलिस सेवा | ड्यूटी से जानबूझकर अनुपस्थिति | 7.4. 94 से सेवा से बर्खास्त |
| 10. | एस० एम० भौंसले (महाराष्ट्र) | भारतीय वन सेवा | अप्राधिकृत अनुपस्थिति | अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु एंव सेवानिवृत्ति प्रसुविधाएं) नियमावली 1958 के नियम 16(3) के अधीन समयपूर्व सेवानिवृत्ति। |